

# DD-926

## LL. B. (Part III) (Second Semester) EXAMINATION, 2020

Paper Second

CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 100*

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खण्ड 'ब' से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt *five* question in all. *One* question from Section 'B' is compulsory. All questions carry equal marks.

1. जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। विवेचना कीजिए।

Courts to try all civil suits unless baned. Discuss.

2. वाद संस्थित करने के स्थान की विवेचना कीजिए।

Discuss the place of suing.

3. समन से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न प्रकार के तामीलों की विवेचना कीजिए।

What do you mean by Summon ? Discuss the various modes of services of summon.

P. T. O.

4. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की विवेचना मनोहरलाल बनाम सेठ हीरालाल वाद के प्रकाश में कीजिए।

Discuss the inherent powers of Courts in the light of Manohar Lal vs. Seth Hiralal case.

5. अकिंचन व्यक्तियों के द्वारा अपील के उपबंधों की विवेचना कीजिए।

Discuss the provisions of appeal by Indigent persons.

6. अभिवचन से आप क्या समझते हैं ? अभिवचन के विभिन्न नियमों की विवेचना कीजिए।

What do you mean by Pleading ? Discuss the various rules of Pleading.

7. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) विधि का सारवान प्रश्न  
(ब) अन्तर्वर्ती आदेश

Write notes on the following :

- (a) Substantial question of law  
(b) Interlocutory order

खण्ड—ब

**(Section—B)**

8. मर्यादा विधि की प्रकृति की विवेचना कीजिए।

Describe nature of the law of limitation.

9. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) विशेष अपवाद  
(ब) अतिच्छादन का सिद्धान्त

Write notes on the following :

- (a) Special exception
- (b) Doctrine of overlapping

10. राज्य बनाम प्रशासक, A.I.R. 1972, S. C. 749 के वाद के तथ्यों एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid down in the case of State vs. Administrator, A. I. R. 1972, S. C. 749.

<https://universitynews.in/>